

दि न्यू इन्डिया एश्योरन्स कंपनी लिमिटेड The New India Assurance Company Limited

(भारत सरकार का उपक्रम / Government of India Undertakina)

पंजीकृत ए	वं प्रधान व	कार्यालय :	न्यू इन्डिया	एश्योरन्स	बिल्डिंग,	87, महा	त्मा गांधी म	गर्ग, फोर	र्ट, मुंबई -	400 0	01.
Regd. & I	Head Off	ice : New	India Ass	surance	Building,	87, M.	G. Road	, Fort, I	Mumbai -	- 400	001.

(GSTIN No.: 27AAACN4165C3ZP / IRDA Registration No.: 190 / CIN No.: L66000MH1919G0I000526 / UIN No.: IRDAN190P0046V01100001)

सरल संपूर्ण किसान बीमा पॉलिसी दस्तावेज SARAL SAMPURNA KISAN BIMA POLICY CLAUSE

अनुसूची में नामित बीमाधारक, जिन्होंने दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे इसके बाद ''कंपनी'' कहा जाएगा) को एक प्रस्ताव दिया है एवं घोषणा की है कि यह अनुबंध के आधार होंगे तथा यहाँ पर उल्लिखित प्रीमियम का भुगतान स्वीकृत करने अथवा भुगतान करने के पश्चात उन्हें समाहित माना जाएगा।

कंपनी एतद्द्वारा स्वीकार करती है कि इसमें समाहित अथवा पृष्टांकित या अभिव्यक्ति शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन यदि बीमाधारक अथवा अनुसूची में नामित बीमाधारक के परिवार के सदस्यों को इसमें उल्लिखित बीमा अविध के दौरान किसी भी समय अथवा किसी पश्चातवर्ती अविध के दौरान जिसके संबंध बीमाधारक द्वारा प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया हो अथवा भुगतान करने की सहमित दे दी हो, दुर्घटना द्वारा हानि या कोई दायित्व उपगत हो या उन्हें शारीरिक चोट पहुंचे तो कंपनी बीमाधारक को ऐसी हानि के घटित होने के समय, ऐसी कोई संपत्ति के मूल्य अथवा ऐसी क्षित की राशि अथवा उपगत दायित्व की राशि अथवा इसमें विहित लाभों को भुगतान करेगी, परंतु यह उसमें विहित अनेक मदों से प्रत्येक मद के सम्मुख क्रमशः दी गई राशि के संबंध में किसी एक बीमा अविध में उस राशि से अधिक नहीं होगा।

कुछ शब्दों का विशेष अर्थ :-

नीचे दी गई तालिका में दिए गए शब्दों का इस पूरी पॉलिसी में विशेष अर्थ है। विशेष अर्थ वाले इन शब्दों को पॉलिसी में पहले अक्षर को बड़े अक्षरों के साथ दर्शाया गया है।

शब्द	विशेष अर्थ
बीमाधारक	वह व्यक्ति जिसके नाम पर पॉलिसी जारी की गई है ।
कंपनी	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ।
बीमित व्यक्ति	इस पॉलिसी की अनुसूची में नामित व्यक्ति, जो इस पॉलिसी के अंतर्गत आविरत है / हैं, जिनके लिए बीमा प्रस्तावित है तथा उचित प्रीमियम का भुगतान किया गया है।
बीमित संपत्ति	बीमित व्यक्ति का भवन, घर की सामग्री, या इस पॉलिसी के अंतर्गत आवरित की

WHEREAS the Insured named in the Schedule hereto has made to The New India Assurance Company Limited (hereinafter called "the Company") a proposal and declaration which shall be the basis of the contract and be deemed to be incorporated herein for the insurance hereinafter contained and has paid or agreed to pay the premium stated herein.

जारीकर्ता कार्यालय / Issuing Office :

The Company hereby agrees subject to the terms and conditions contained bearing or endorsed or otherwise expressed hereon that if the Insured shall sustain loss or damage or incur liability or the Insured or member of the Insured's family named in the Schedule shall sustain bodily injury by accident at any time during the period of insurance stated bearing or any subsequent period in respect of which the Insured shall have paid and the Company shall have accepted the premium required for the renewal thereof, the Company will pay to the Insured the value, at the time of happening of such loss, of the property so lost or the amount of such damage or the amount of liability Insured or the benefits specified herein but not exceeding in any one period of insurance in respect of each of the several items specified herein the sum set opposite thereto respectively.

SPECIAL MEANING OF CERTAIN WORDS:-

Words stated in the table below have a special meaning throughout this Policy. These words with special meaning are stated in the Policy with the first letter capitals.

Word/s	Specific meaning
Insured	The Person in whose name the Policy is issued.
Company	The New India Assurance Company Limited.
Insured Person/s	The person/s so named in the Schedule to this Policy, who is/are covered under this Policy, for whom the insurance is proposed and the appropriate premium paid.
Insured Property	Insured's Home Building , Home Contents, or any other of property

	गई कोई अन्य संपत्ति, जैसा कि इस पॉलिसी की अनुसूची में उल्लेख किया गया है।
कच्चा निर्माण	ऐसी इमारतें जिसमें दीवारें और/या छत लकड़ी के तख्तों और/या फूस के पत्तों और/या घास/किसी भी प्रकार की घास/ बांस/प्लास्टिक का कपड़ा/एस्फाल्ट का कपड़ा/कैनवास/तिरपाल और इसी तरह की अन्य चीजें की हों।

सामान्य शर्ते

- 1. सूचना: पॉलिसी द्वारा अपेक्षित कंपनी को देय प्रत्येक सूचना एवं समव्यवहार उस कंपनी के कार्यालय जिसके माध्यम से यह बीमा प्रभावित है. को लिखित रूप में देना होगा।
- 2. गलत विवरण प्रस्तुति: किसी महत्वपूर्ण जानकारी की गलतबयानी, गलत विवरण देने अथवा उसके अप्रकटन की दशा में यह पॉलिसी निष्प्रभावी हो जाएगी तथा इसके संबंध में प्रदत्त सभी प्रीमियम कंपनी द्वारा जब्त कर लिए जाएंगे।
- 3. **उचित सावधानी**: किसी हानि या क्षित के लिए बीमित संपत्ति की सुरक्षा हेतु बीमाधारक सभी उचित सावधानियाँ बरतेगा । बीमाधारक उचित ध्यान देगा कि केवल सक्षम कर्मचारियों को ही नियोजित किया जाए और वो भी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संभव सावधानियाँ बरतेंगे तथा सभी सांविधिक अथवा अन्य विनियमों का पालन करेंगे ।
- 4. निरस्तीकरण: कंपनी किसी भी समय सात दिनों की सूचना देकर इस पॉलिसी को निरस्त कर सकती है, इस दशा में कंपनी असमाप्त बीमा अविध के साथ अंतिम प्रीमियम राशि के अनुपात की राशि बीमाधारक को वापस कर देगी।

इस पॉलिसी को बीमाधारक के अनुरोध पर किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है, इस मामले में कंपनी अग्नि बीमा पॉलिसी के प्रभावी रहने की अविध हेतु लघु अविध दरों पर प्रीमियम अपने पास रख लेगी।

5. **दावा प्रक्रिया**: इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई क्षति होने पर दावे और/ या क्षति की सूचना को हानि या दावा होने के 24 घंटे के भीतर लिखित रूप में बीमा कंपनी को दी जानी चाहिए और मानक पॉलिसी जिसके अंतर्गत दावे किए जाते हैं, में उल्लिखित आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया जाए । दावे पर कारवाई और देयता का आकलन साल्वेज और पॉलिसी आधिक्य को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ।

दावे के समय आवश्यक परिचायक दस्तावेज :-

- ए) विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित दावा प्रपत्र और पॉलिसी प्रति ।
- बी) पॉलिसी के अंतर्गत बीमित संपत्ति या बीमित जानवर की चोरी के मामले में पुलिस प्राथमिकी ।
- सी) फायर ब्रिगेड रिपोर्ट, मौसम विभाग रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट जो भी लागू हो ।

	covered by this Policy as mentioned in the Schedule to this Policy.
Kutcha Construction	Building(s) having walls and/or roofs of wooden planks/thatched leaves and/or grass/hay of any kind/bamboo/plastic cloth/asphalt cloth/canvas/tarpaulin and the like.

GENERAL CONDITIONS

- Notice: Every notice and communication to the Company required by the Policy shall be in writing to the office of the Company through which this insurance is effected.
- Mis-description: This Policy shall be void and all premiums paid thereon shall be forfeited to the Company in the event of misrepresentation mis-description or nondisclosure of any material particular.
- 3. Reasonable Care: The Insured shall take all reasonable steps to safeguard the property Insured against any loss or damaged. The Insured shall exercise reasonable care that only competent employees are employed and shall take all reasonable precautions to prevent all accidents and shall comply with all statutory or other regulations.
- 4. Cancellation: The Company may at any time by giving seven days notice in writing cancel this Policy, in which case the Company shall return to the Insured a proportion of the last premium corresponding to the unexpired period of insurance.

This Policy may also be terminated at any time at the request of the Insured in which case the Company will retain the premium for the period this Policy has been in force at the short period scales of rates as per Fire Insurance Policy.

5. Claims Procedure: Upon the occurrence of any loss under this Policy notice of claim and/or loss should be given in writing to the insurance company within 24 hours of the occurrence of loss or claim and necessary procedure to be followed as mentioned in standard Policy under which claims is made. The claim will be processed and liability shall be assessed after taking into consideration the salvage and Policy excess.

Indicative Documents required at the time of claim :-

- a) Duly filled-in and signed Claim form & Policy Copy.
- b) Police FIR in case of Theft of the Insured property or Insured animal covered under the Policy.
- c) Fire Brigade report, Metrological Report and Forensic report whenever applicable.

- डी) खंड ॥ के अंतर्गत मृत्यु प्रमाणपत्र ।
- ई) खंड II के अंतर्गत आवरित किए गए व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु या शारीरिक चोट के मामले में, पुलिस को सूचना, जहां भी आवश्यक हो ।
- एफ)बीमित पशु की मृत्यु के मामले में, योग्य पशु चिकित्सक द्वारा मृत्यु प्रमाणपत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और मृत पशु के कान का टैग।
- जी) बीमित पशु की स्थायी पूर्ण अशक्तता (पीटीडी) के मामले में पशु चिकित्सक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के दो महीने बाद दावे की स्वीकार्यता पर विचार किया जाएगा ।
- एच) बीमित संपत्ति के प्रतिस्थापन / मरम्मतकर्ता से रसीद, बिल और रिपोर्ट ।
- आई) कोई अन्य दस्तावेज जो दावे को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक हो ।
- 6. अंशवान: इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी हानि, क्षिति, देयता या व्यय की दशा में उसी हानि, क्षिति या व्यय को आविरत करने वाला कोई अन्य बीमा विद्यमान हो, चाहे वह बीमाधारक द्वारा किया गया हो अथवा नहीं, तो इस पॉलिसी के अंतर्गत ऐसी हानि, क्षित, देयता या व्यय की उतनी आधिक्य की सीमा तक भुगतान किया जाएगा जितना किसी ऐसे अन्य बीमा के अंतर्गत राशि वसूल न हो बशर्ते कि यह उस पॉलिसी की सीमाओं के अध्यधीन हो ।
- 7. धोखाधड़ी: यदि इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई दावा किसी भी रूप में धोखाधड़ी पर आधारित हो अथवा यदि उसके समर्थन में बीमाधारक अथवा उसके एवज में कार्यरत किसी व्यक्ति ने इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई लाभ उठाने के लिए किसी अनुचित प्रक्रिया या साधन का इस्तेमाल किया हो तो इस पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त सभी लाभ जब्त समझे जाएंगे।
- 8. क्षितपूर्ति : कंपनी अपने विकल्प पर खोई हुई या क्षितग्रस्त संपत्ति या परिसर या उसके किसी हिस्से की हानि या क्षित की राशि का भुगतान करने के बजाय पुर्नस्थापित, प्रतिस्थापित या मरम्मत कर सकती है या ऐसा करने में किसी अन्य बीमाकर्ता के साथ शामिल हो सकती है परंतु कंपनी वास्तविक या पूर्णतः पुर्नस्थापन हेतु बाध्य नहीं है परंतु परिस्थितियों के अनुसार जैसा भी मामला हो कंपनी पुर्नस्थापन की लागत को क्षिति के पूर्व बाजार मूल्य एवं कुल बीमा राशि से अधिक का भुगतान नहीं करेगी ।
- 9. औसत: यदि एतद्द्वारा बीमित संपत्ति किसी भी हानि या क्षिति के समय सामूहिक रूप से बीमित राशि से अधिक मूल्य की होगी तो बीमाधारक को उस राशि के अंतर के लिए उसको स्वयं बीमाकर्ता माना जाएगा और तद्नुसार क्षित/हानि का एक अनुमेय अनुपात स्वयं वहन करेगा । इस पॉलिसी के खंड ।, ॥ और IV को छोड़कर, पॉलिसी की प्रत्येक मद, यदि एक से अधिक हैं, अलग से इस शर्त के अधीन होंगे ।
- 10. नियम और शर्तों का अवलोकन : इस पॉलिसी के नियमों, शर्तों और पृष्ठांकनों का उचित पालन और पूर्ति, जहाँ तक वे बीमित व्यक्ति

- d) Death Certificate under Section II
- e) In case of accidental death or bodily injury to the Person covered under Section II, information to Police, whenever necessary.
- f) In case of Death of Insured animal, Death certificate & Post mortem report by qualified veterinary Doctor, and the Ear Tag of deceased animal.
- g) In Case of Permanent Total Disablement (PTD) of Insured animal admissibility of claim to be considered after two months of obtaining Veterinary Doctor Certificate.
- h) Receipts, bills and reports from the repairer/ replacement of Insured property.
- i) Any other documents that may be required to substantiate the claim.
- 6. Contribution: In the event of any loss, damage, liability or expenses covered by this Policy, if there shall be any other insurance covering the same loss, damage, liability or expenses whether effected by the Insured or not, this Policy shall pay only so much of the excess of such loss, damage, liability or expenses as is not recoverable under such other insurance, subject always to the limitations of this Policy.
- 7. Fraud: If any claim under this Policy shall be in any respect fraudulent or if any fraudulent means or device is used by the Insured or any one acting on the Insured's behalf to obtain any benefit under this Policy, all benefits under the Policy shall be forfeited.
- 8. Indemnity: The Company may at its option reinstate, replace or repair the property or premises lost or damaged or any part thereof instead of paying the amount of loss or damage or may join with any other insurer in so doing but the Company shall not be bound to reinstate exactly or completely but only as circumstances permit and in reasonably sufficient manner and in no case shall the Company be bound to expend more in reinstatement than it would have cost to reinstate such property as it was at the time of occurrence of such loss or damage nor more than the Sum Insured by the Company thereon.
- 9. Average: If the property hereby Insured shall at the time of any loss or damage be collectively of greater value than the Sum Insured thereon then the Insured shall be considered as being his own insurer for the difference and shall bear a ratable proportion of the loss or damage accordingly. Every item, if more than one, of the Policy shall be separately subject to this condition, except Section I, II and IV of this Policy.
- **10.** Observation of Terms and Conditions: The due observance and fulfillment of the terms, conditions and

द्वारा किए जाने या अनुपालन से संबंधित हैं, इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी भुगतान करने के लिए कंपनी की किसी भी देयता से पूर्ववर्ती शर्त होगी ।

- 11. कृपया ध्यान दें कि, किसी भी विसंगति के मामले में, विशिष्ट अनुभागों के नियम, शर्तें, बहिष्करण और वारंटी (खंड 1 से खंड 6 तक, जो भी दावे पर लागू हो), जैसा कि यहाँ निर्धारित किया गया है, इस पॉलिसी के सामान्य शर्तों और सामान्य अपवर्जनों पर लागू होगा ।
- 12. मध्यस्थता और अस्वीकरण: यदि पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है (जबिक देयता स्वीकृत हो) तो इस तरह के अंतर को बीमाधारक और कंपनी के स्वतंत्र रूप से लिखित में नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ के निर्णय हेतु संदर्भित किया जाएगा । यदि वे इस एकल मध्यस्थ सहमत नहीं होते हैं तो 30 दिनों के भीतर, तो उन्हें तीन मध्यस्थों के हेतु एक पैनल में भेजा जाएगा, जिसमें दो मध्यस्थ शामिल होंगे, जिन्हें प्रत्येक पक्ष द्वारा विवाद/अंतर हेतु नियुक्त किया जाएगा । और ऐसे दो मध्यस्थों द्वारा तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त किया जाएगा और मध्यस्थता का संचालन मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

यह स्पष्ट रूप से सहमत है और समझा जाता है कि यदि कंपनी ने इस पॉलिसी के अंतर्गत या इसके संबंध में उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है तो जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है किसी भी मतभेद या विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जाएगा।

''एतद्द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्धारित और घोषित किया जाता है कि यह इस पॉलिसी पर कार्रवाई या मुकदमें के किसी भी अधिकार के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त होगी कि इस तरह के हानि या क्षित की राशि के लिए मध्यस्थों या निर्णायकों द्वारा आदेशित अवार्ड पहले प्राप्त किया जाएगा।''

इसके द्वारा यह भी स्पष्ट रूप से सहमत और घोषित किया जाता है कि यदि कंपनी बीमाधारक के लिए इसके अंतर्गत किसी भी दावे के लिए देयता को अस्वीकार कर देती है, और ऐसा दावा, इस तरह के अस्वीकरण की तिथि से 12 कैलेंडर महीनों के भीतर किसी न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जाती, तो दावा सभी उद्देश्यों के लिए परित्यक्त माना जाएगा और उसके बाद वसूली योग्य नहीं होगा।

13. शिकायत का निवारण: पॉलिसी सेवा से संबंधित किसी भी शिकायत के मामले में, बीमाधारक व्यक्ति अपनी शिकायत निवारण के लिए पॉलिसी जारी करने वाले कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय को लिखित रूप में आवेदन कर सकता है।

शिकायत अधिकारी का विवरण -

https://www.newindia.co.in/portal/readMore/Grievances

आईआरडीएआई एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली https://igms.irda.gov.in/

बीमा लोकपाल - बीमाधारक शिकायत के निवारण हेतु संबंधित क्षेत्र/ क्षेत्र के बीमा लोकपाल के कार्यालय से भी संपर्क कर सकता है । बीमा

- endorsements of this Policy in so far as they relate to anything to be done or complied with by the Insured shall be a condition precedent to any liability of the Company to make any payment under this Policy.
- 11. In case of any discrepancies, please note that the terms, conditions, exclusions and warranties of the specific Sections (Section 1 to Section 6, whichever is applicable to the claim), as set out hereunder will prevail over the General Conditions and General Exceptions of this policy.
- 12. Arbitration and Disclaimer: If any dispute or difference shall arise as to the quantum to be paid under the Policy (liability being otherwise admitted) such difference shall independently of all other questions be referred to the decision of a sole arbitrator to be appointed in writing by Insured and the Company, or if they cannot agree upon a single arbitrator within 30 days of any party invoking arbitration the same shall be referred to a panel of three arbitrators, comprising of two arbitrators, one to be appointed by each of the parties to the dispute/difference and the third arbitrator to be appointed by such two arbitrators and arbitration shall be conducted under and in accordance with the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

It is clearly agreed and understood that no difference or dispute shall be refer to arbitration as herein above provided if the Company has disputed or not accepted liability under or in respect of this Policy.

"It is hereby expressly stipulated and declared that it shall be a condition precedent to any right of action or suit upon this Policy that award by such arbitrators or umpire of the amount of the loss or damage shall be first obtained."

It is also hereby expressly agreed and declared that if the Company shall disclaim liability to the Insured for any claim herein under, and such claim shall not, within 12 calendar months from the date of such disclaimer have been made the subject matter of a suit in a Court of Law, then the claim shall for all purposes be deemed to have been abandoned and shall not thereafter be recoverable hereunder.

13. REDRESSAL OF GRIEVANCE: In case of any grievance relating to servicing the Policy, the Insured Person may submit its grievance in writing to the Policy issuing office or regional office for redressal.

For details of grievance officer - https://www.newindia.co.in/portal/readMore/Grievances

IRDAI Integrated Grievance Management System - https://igms.irda.gov.in/

Insurance Ombudsman - The Insured person may also approach the office of Insurance Ombudsman of the

लोकपाल कार्यालयों के संपर्क विवरण अनुबंध - सी के रूप में प्रदान किए गए हैं ।

सामान्य अपवर्जन

(पॉलिसी के सभी खंडों के लिए लागू)

कंपनी निम्नलिखित के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगी :

- 1. युद्ध के कारण होने वाली हानि, विनाश या क्षिति, विदेशी आक्रमण, शत्रु के कृत्य (चाहे युद्ध घोषित किया गया हो या नहीं), विदेष, गृह युद्ध, विद्रोह, नागरिक अशांति के कारण होने वाली हानि, जनविप्लव, सैन्य विद्रोह के अनुपात या राशि को मानते हुए, विद्रोह, क्रांति, विद्रोह या सैन्य या किसी अन्य द्वारा शासन पर अनिधकृत कब्जा ।
- 2. बीमाकृत संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली हानि, विनाश या क्षति :-
 - ए. किसी भी परमाणु ईंधन से या परमाणु ईंधन के दहन से किसी भी परमाणु कचरे से रेडियोधर्मिता द्वारा विकिरण या संदूषण को आयनित करना ।
 - बी. किसी भी विस्फोटक परमाणु असेंबली या उसके परमाणु घटक के रेडियोधर्मी जहरीले विस्फोटक या अन्य खतरनाक गुण ।
- आतंकवाद और तो ड़फो ड़ की गतिविधियों से होने वाली हानि या क्षति । यह अपवर्जन इस पॉलिसी के खंड - । के अंतर्गत प्रदान किए गए आवरण पर लागू नहीं होता है ।
- 4. मूल्यह्रास या टूट-फूट के कारण होने वाली हानि या क्षति । यह अपवर्जन इस पॉलिसी के खंड I, खंड II और खंड IV के तहत दिए गए आवरण पर लागू नहीं होता है ।
- 5. किसी भी प्रकार या विषय की परिणामी हानि ।
- 6. बीमाधारक या बीमाधारक की ओर से या बीमाधारक की मिलीभगत से किसी जानबूझकर, सोची समझी या सोद्देश्य कार्य का चूक ।

सामान्य आवरण

इस पॉलिसी में छह खंड शामिल हैं:-

खंड - 1 – आवास और गृह सामग्री

कंपनी बीमाधारक के भवन और घर की सामग्री (भवन की बीमा राशि का 20% से अधिक नहीं) के हानि या क्षति के संबंध में बीमाधारक की क्षतिपूर्ति करेगी:

- 1. अग्नि, किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेश से संपत्ति को हुई विनाश या क्षति को छोड़कर ।
- 2. विस्फोट / अन्तःविस्फोट :- बॉयलरों (घरेलू बॉयलरों के अलावा), इकोनोमाइजर्स या अन्य बर्तनों, जिनमें भाप उत्पन्न होती है, मशीनरी या उपकरणों को अपने स्वयं के विस्फोट / अंतःविस्फोट द्वारा केन्द्रप्रसारक बल के अधीन होने वाले विनाश या क्षति को छोड़कर।

respective area/region for redressal of grievance. The contact details of the Insurance Ombudsman offices have been provided as Annexure-C.

GENERAL EXCEPTIONS

(Applicable to all Sections of the Policy)

The Company shall not be liable in respect of:

- Loss, destruction or damage caused by war, invasion act of foreign enemy hostilities or war like operations (whether war be declared or not), civil war, mutiny, civil commotion assuming the proportions of or amounting to a popular rising, military rising, rebellion, revolution, insurrection or military or usurped power.
- 2. Loss, destruction or damage directly or indirectly caused to the property Insured by :-
 - a. Ionizing radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel.
 - The radioactive toxic explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof.
- Loss or damage caused by Terrorism and Sabotage activities. This exclusion does not apply to the cover provided under Section - I of this Policy.
- Loss or damage caused by depreciation or wear and tear. This exclusion does not apply to the cover provided under Section - I, Section - II & Section - IV of this Policy.
- 5. Consequential loss of any kind or description.
- Insured's deliberate, willful or intentional act or omission, or of anyone on behalf of Insured or with Insured's connivance.

GENERAL COVERAGES

This Policy consists of SIX sections:-

SECTION - 1 – DWELLINGS AND HOME CONTENTS

The Company will indemnify the Insured in respect of loss of or damage to the Insured's Home Building and Home contents (not more than 20% of the Sum Insured of the Home Building) by :

- 1. Fire excluding destruction or damage caused to the property by order of any Public Authority.
- Explosion / Implosion: excluding destruction or damage caused to the boilers (other than domestic boilers), economizers or other vessels in which steam is generated, machinery or apparatus subject to centrifugal force by its own explosion/implosion.

- 3. भूकंप, ज्वालाग्रही विस्फोट या प्रकृति के अन्य आक्षेप ।
- 4. तूफान, चक्रवात, आंधी, प्रभंजन, झंझावात, बवंडर, सुनामी, बाढ़ और सैलाब ।
- 5. भू-धसकन और भूस्खलन जिसमें पहाड़ का खिसकना भी शामिल है: स्थल के उस हिस्से के धंसने से होने वाली क्षति या क्षति जिस पर संपत्ति खड़ी है या लैंड स्लाइड / रॉक स्लाइड को छोड़कर:
 - ए) नई संरचनाओं की सामान्य क्रैकिंग, धंस जाना या झुक जाना ।
 - बी) निर्मित भूमि का धंस जाना या सरक जाना ।
 - सी) तटीय या नदी का कटाव ।
 - डी) दोषपूर्ण डिजाइन या कारीगरी या दोषपूर्ण सामग्री का उपयोग ।
 - ई) किसी भी संपत्ति या जमीन का विध्वंस, निर्माण, संरचनात्मक परिवर्तन या किसी संपत्ति या जमीन की मरम्मत कार्य का उत्खनन ।
- 6. झाड़ी की आग, फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग।
- 7. किसी भी प्रकार की प्रभावी क्षति, अर्थात किसी बाह्य भौतिक वस्तु (जैसे वाहन, पेड़, विमान, दीवार आदि के गिरने से) के आघात से होने वाली क्षति, या टक्कर के कारण होने वाली क्षति, विमान या अन्य के कारण होने वाली दबाव तरंगों के कारण होने वाली हानि या क्षति को छोड़कर ध्विन या सुपरसोनिक गित से यात्रा करने वाले हवाई या अंतरिक्ष उपकरण।
- 8. मिसाईल परीक्षण प्रचालन ।
- 9. दंगा, हड़ताल, द्वेषपूर्ण क्षति :- बाहरी हिंसक साधनों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बीमित संपत्ति को हुई हानि या दिखाई देने वाली शारीरिक क्षति या विनाश, लेकिन निम्नलिखित के कारण होने वाली क्षति को छोडकर:
 - ए) सरकार या किसी कानूनी रूप से गठित प्राधिकरण के आदेश से जब्ती, कमांडिंग, मांग या विनाश के परिणामस्वरूप स्थायी या अस्थायी निर्वासन ।
 - बी) किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जे से आपके घर की स्थायी या अस्थायी निर्वासन ।
- 10. आतंकवाद के कृत्य :- संलग्न आतंकवाद खंड के अनुसार आवरण, अपवर्जन एवं आधिक्य ।
- 11. पानी की टंकियों, उपकरणों और पाइपों का फटना और/या ओवरफ्लो होना ।
- 12. स्वचालित स्प्रिंकलर संस्थापनों से रिसाव :- इसके कारण होने वाली हानि या क्षति को छोडकर :
 - ए) भवनों या परिसरों की मरम्मत या परिवर्तन ।
 - बी) स्प्रिंकलर इंस्टालेशन की मरम्मत, हटाना या विस्तार ।
 - सी) बीमाधारक को निर्माण में दोष के बारे में ज्ञात हो ।

- 3. Earthquake, volcanic eruption or other convulsions of nature.
- 4. Storm, Cyclone, Typhoon, Tempest, Hurricane, Tornado, Tsunami, Flood and Inundation.
- Subsidence and Landslide including Rock slide:
 Destruction or damage caused by Subsidence of part of the site on which the property stands or Land slide / Rock slide excluding:
 - Normal cracking, settlement or bedding down of new structures
 - b) Settlement or movement of made up ground
 - c) Coastal or river erosion
 - d) Defective design or workmanship or use of defective materials
 - e) Demolition, construction, structural alterations or repair of any property or ground works or excavations.
- 6. Bush Fire, Forest fire, Jungle fire.
- 7. Impact Damage of any kind, i.e. damage caused by impact of, or collision caused by, any external physical object (e.g. vehicle, falling trees, aircraft, wall etc.) except loss or damage caused by pressure waves caused by aircraft or other aerial or space devices travelling at sonic or supersonic speeds.
- 8. Missile testing operations.
- Riot, Strike, Malicious Damage: Loss of or visible physical damage or destruction by external violent means directly caused to the property Insured but excluding those caused by:
 - a) Permanent or temporary dispossession resulting from confiscation, commandeering, requisition or destruction by order of the Government or any lawfully constituted Authority.
 - b) Permanent or temporary dispossession of your Home by unlawful occupation by any person.
- 10. Acts of terrorism :- Coverage, Exclusions & Excess as per Terrorism Clause Attached.
- Bursting and/or overflowing of Water Tanks, Apparatus and Pipes.
- 12. Leakage from Automatic Sprinkler Installations :- excluding destruction or damage caused by :
 - a) Repairs or alterations to the buildings or premises.
 - b) Repairs, Removal or Extension of the Sprinkler Installation.
 - c) Defects in construction known to the Insured.

- 13. उपरोकत बीमित घटनाओं में से किसी के घटित होने के 7 दिनों के भीतर चोरी, और उसके आसन्न कारण से होने वाली चोरी । यदि यह:
 - ए) आपके घर के बाहर कोई सामान या वस्तु, या
 - बी) आपके घर की बाहरी दीवारों या छत के बाहर से जुड़ी हुई कोई भी सामान या वस्तु, जब तक कि वह सुरक्षित रूप से न लगाई गई हो ।

विशेष अपवर्जन

कंपनी निम्नलिखित के संबंध में किसी भी हानि या दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगी:

- 1. बुलियन या अनसेट कीमती पत्थरों, पांडुलिपियों, प्लांस, ड्रॉइंग, प्रतिभूतियों, दायित्व या किसी भी प्रकार के दस्तावेजों, सिक्कों या पेपर मनी, चेक, वाहनों और विस्फोट पदार्थों की हानि या क्षति जब तक कि अन्यथा पॉलिसी में स्पष्ट रूप से दर्शाया न गया हो ।
- 2. प्रदूषण या संदूषण, जब तक कि -
 - ए) प्रदूषण या संदूषण स्वयं एक बीमित घटना के परिणामस्वरूप हुआ हो, या
 - बी) एक बीमित घटना स्वयं प्रदूषण या संदूषण का परिणाम हो ।
- 3. अत्यधिक चलने, अत्यधिक दबाव, शॉर्ट सर्किटिंग, आर्किंग, सेल्फ हीटिंग या किसी भी कारण से बिजली के रिसाव (तिड़त सिहत) से किसी भी इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उपकरण, फिक्सचर या फिटिंग को नुकसान, क्षित या हानि । यह अपवर्जन केवल उस विशेष मशीन के लिए जो खो गई, क्षितिग्रस्त या नष्ट हो गई हो पर ही लागू होता है ।
- 4. किसी भी बीमित संपत्ति के नुकसान को जो खो गया है या गलत तरीके से रखा गया है, या इसके गायब होने को किसी एक पहचान योग्य घटना से नहीं जोड़ा जा सकता है ।
- 5. बीमित घर से किसी अन्य स्थान पर हटाई गई किसी भी बीमित संपत्ति को हानि या क्षति ।
- 6. किसी भी बीमित संपत्ति की मरम्मत या प्रतिस्थापन के बाद उसके बाजार मूल्य में आई कमी ।
- 7. बीमित घर की किसी भी संरचना में कोई भी वृद्धि, विस्तार या परिवर्तन जो इसके कारपेट एरिया को प्रारंभ तिथि या इस पॉलिसी के नवीनीकरण की तिथि पर मौजूद कारपेट एरिया को 10% से अधिक बढ़ा देता है, जब तक कि बीमित व्यक्ति ने अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान नहीं किया हो और इस तरह के जोड़, विस्तार या परिवर्तन को पृष्ठांकन द्वारा जोडा जाता है।
- 8. किसी भी दावे को तैयार करने के लिए लागत, फीस या खर्च।

विशेष शर्ते

I. बीमित राशि में स्वत: वृद्धि: - वार्षिक पॉलिसी हेतु पॉलिसी आरंभ की तिथि पर बीमाराशि प्रत्येक दिन 10% के 1/365 वें हिस्से की राशि से स्वत: रूप से बढ़ जाएगी ।

- 13. Theft within 7 days from the occurrence of, and proximately caused by, any of the above Insured Events. If it is:
 - a) Any article or thing outside your Home, or
 - Any article or thing attached from the outside of the outer walls or the roof of your Home, unless securely mounted.

SPECIAL EXCEPTIONS

The Company shall not be liable for any loss or claim in respect of:

- Loss or damage to bullion or unset precious stones, manuscripts, plans, drawings, securities, obligation or documents of any kind, coins or paper money, cheques, vehicles, and explosive substances unless otherwise expressly stated in the Policy.
- 2. Pollution or contamination, unless -
 - a) The pollution or contamination itself has resulted from an Insured Event, or
 - b) An Insured Event itself results from pollution or contamination.
- Loss, damage or destruction to any electrical/electronic machine, apparatus, fixture, or fitting by over-running, excessive pressure, short circuiting, arcing, self heating or leakage of electricity from whatever cause (lightning included). This exclusion applies only to the particular machine so lost, damaged or destroyed.
- 4. Loss of any Insured Property which is missing or has been mis-laid, or its disappearance cannot be linked to any single identifiable event.
- 5. Loss or damage to any Insured Property removed from Insured Home to any other place.
- 6. Any reduction in market value of any Insured Property after its repair or reinstatement.
- 7. Any addition, extension, or alteration to any structure of Insured home building that increases its Carpet Area by more than 10% of the Carpet Area existing at the commencement Date or on the date of renewal of this Policy, unless the Insured has paid additional premium and such addition, extension or alteration is added by Endorsement.
- 8. Costs, fees or expenses for preparing any claim.

SPECIAL CONDITIONS

I. Automatic Increase in Sum Insured :- The Sum Insured will automatically increase each day by an amount representing 1/365th of 10% of Sum Insured at the Policy commencement Date for annual Policy.

- II. बीमित राशि की पूर्नबहाली: इसका अर्थ है कि दावे के भुगतान के बाद, पॉलिसी को हानि की तारीख से असमाप्त पॉलिसी अविध के लिए अतिरिक्त आनुपातिक प्रीमियम पर बीमाराशि को पूरी मूल बीमाराशि पर बहाल किया जाएगा।
- III. किराए की हानि और वैकल्पिक आवास हेतु किराया: यह पॉलिसी यदि बीमित घटना से उत्पन्न होने वाले भौतिक नुकसान के कारण बीमित भवन रहने के लिए उपयुक्त नहीं है तो बीमाधारक द्वारा भुगतान किए गए वैकल्पिक किराए अथवा किराए के नुकसान की राशि को आवरित करती है।
 - ए) कंपनी ऐसे आवास के लिए किराए का भुगतान करेगी जो गृह भवन से किसी भी रूप से बेहतर न हो और उसी शहर में हो जहाँ बीमित गृह भवन है ।
 - बी) यदि बीमित व्यक्ति को वैकल्पिक आवास के लिए अधिक किराए का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, तो कंपनी वैकल्पिक आवास के किराए और बीमित गृह भवन के किराए के बीच के अंतर का भुगतान करेगी।
 - सी) यह कवर बीमित गृह भवन को आवास योग्य बनाने हेतु आवश्यक उचित समय के लिए उपलब्ध होगा । इस कवर की अधिकतम अविध बीमाधारक के गृह भवन के रहने के अयोग्य होने की तिथि से तीन वर्ष है ।
- IV. न्यून बीमा की छूट: बीमा राशि की गणना बीमाधारक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर की जाती है, यदि यह जोखिम पर वास्तविक मूल्य से कम होती है, तो भी नुकसान की अंतर राशि को प्रभावित नहीं करेगा।
- V. कंपनी निम्नलिखित खर्चों का भुगतान करेगी :-
 - ए) आर्किटेक्ट, सर्वेयर, कंसिल्टंग इंजीनियर की उचित फीस के लिए दावा राशि का 5% तक ।
 - बी) स्थल से मलबे को हटाने की उचित लागत के लिए दावा राशि का 2% तक ।

खंड - ॥ - जनता व्यक्तिगत दुर्घटना

यह पॉलिसी, अनुसूची में नामित 18 से 70 वर्ष के बीच के बीमित व्यक्ति (किसान) और उसके जीवनसाथी को आविरत करती है। कंपनी बीमित व्यक्ति को (या बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, नामांकित व्यक्ति को), लाभों की तालिका के सामने दिखाई गई राशि का भुगतान करेगी, यदि बीमित व्यक्ति को सीधे बाहरी हिंसक और दुर्घटना के कारण दुर्घटना हुई है, दृश्य साधन और घटना के बारह कैलेंडर महीनों के भीतर ऐसी शारीरिक चोट का एकमात्र और प्रत्यक्ष कारण हो:

	लाभ तालिका	देय बीमा राशि
ए)	दुर्घटना से मृत्यु	मूल बीमा राशि का 100%
बी)	दोनों आंखों की दृष्टि की कुल और अपूरणीय हानि या दो हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या एक आंख की दृष्टि की हानि और एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि ।	मूल बीमा राशि का 100%

- II. Restoration of Sum Insured: This means that after payment of claim, the Policy shall be restored to the full original amount of Sum Insured at an additional proportionate premium for the unexpired Policy Period from the date of loss.
- III. Loss of Rent and Rent for Alternative accommodation: This Policy provides for, the amount of rent loss or alternative rent paid by Insured if Insured Home building is not fit for living because of physical loss arising out of an Insured Event.
 - The Company will pay rent for an accommodation that is not superior to Home building in any way and in the same city as Insured Home Building.
 - b) If Insured is required to pay higher rent for the alternative accommodation, the Company will pay difference between the rent for alternative accommodation and the rent of Insured Home Building.
 - c) This cover will be available for the reasonable time required to repair Insured Home Building to make it fit for living. The maximum period of this cover is three years from the date Insured's Home building becomes unfit for living.
- IV. Waiver of Underinsurance: Sum Insured calculated on the basis of the information that Insured provided, is less than the actual value at the risk, the difference will not affect the amount of Loss.
- V. The Company will pay the following expenses:
 - a) Up to 5% of the claim amount for reasonable fees of architect, surveyor, consulting engineer.
 - b) Up to 2% of the claim amount for reasonable costs of removing debris from the site.

SECTION - II - JANATA PERSONAL ACCIDENT

This Policy, covers the Insured person (Farmer) & his/her spouse between the age of 18 and 70 years, as named in the Schedule. The Company will pay to the Insured (or in case of death of the Insured, to the nominee), the amount shown against the table of benefits, if the Insured shall sustain any bodily injury resulting solely and directly from accident caused by outward violent and visible means and such bodily injury within the twelve calendar months of the occurrence be the sole and direct cause of:

	Table of benefits	Sum Insured Payable
a)	Death due to accident	100% of CSI
b)	Total and irrecoverable loss of sight of both eyes or losses of use of two hands or feet or loss of sight of one eye and loss of use of one hand or foot.	100% of CSI

7	-	एक आंख की दृष्टि की कुल और अपूरणीय हानि या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि ।	मूल बीमा राशि का 50%
16	डी)	स्थायी पूर्ण अपंगता	मूल बीमा राशि का 100%

विशेष अपवर्जन

बशर्तें कि :

कंपनी इस पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी नहीं होगी :

- विकलांगता की समान अविध के लिए बीमित व्यक्ति की समान चोट या अक्षमता के संबंध में पूर्वगामी उप - खंड ए, बी, सी और डी में से एक से अधिक के तहत मुआवजा ।
- 2. किसी एक बीमित व्यक्ति के लिए बीमा की किसी एक अवधि के दौरान पॉलिसी के अंतर्गत बीमित राशि से अधिक का कोई भी भुगतान ।
- 3. इस पॉलिसी के जारी होने की तिथि पर मौजूद किसी भी विकलांगता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने वाली चोट या विकलांगता के संबंध में मुआवजे का भुगतान ।
- 4. बीमित व्यक्ति की मृत्यु, अपंगता के संबंध में मुआवजे का भुगतान :
 - ए) जानबूझकर स्वयं को चोट पहुँचाना, आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास करना ।
 - बी) जबिक नशे की लत शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में ।
 - सी) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पागलपन के कारण; और/या
 - डी) बीमित व्यक्ति द्वारा अपराधिक इरादे से कानून का उल्लंघन करने से उत्पन्न या परिणामी ।

खंड - III :- कृषि पंप सेट बीमा

यह नीति 25 एचपी क्षमता तक के सबमर्सिबल पंप सेट, सेंट्रीफ्यूगल पंप सेट (इलेक्ट्रिकल और डीजल) जो केवल कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाते हैं, पर लागू होती है ।

आवरण का क्षेत्र :

- 1. मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन
- 2. आग और बिजली
- 3. चोरी / सेंधमारी (सबमर्सिबल पंप सेट के मामले को छो ड़कर केवल यदि पंप सेट एक स्थायी बाड़े में रखा गया है)
- 4. दंगा / हड़ताल, दुर्भावनापूर्ण क्षति, आतंकवाद
- 5. तूफान, चक्रवात, टाइफून, आंधी, तूफान, बवंडर, बाढ़ और सैलाब

विशेष अपवर्जन

बशर्ते कि :

कंपनी इस पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी नहीं होगी:

ए) प्रत्येक दावे में 1% का आधिक्य या रु. 250/- जो भी अधिक हो ।

	Total and irrecoverable loss of sight of one eye or loss of use of one hand or foot.	50% of CSI	
d)	Permanent Total Disability	100% CSI	

SPECIAL EXCEPTIONS

PROVIDED ALWAYS THAT:

The Company shall not be liable under this Policy for:

- Compensation under more than one of the foregoing Sub-Clauses a, b, c & d in respect of the same injury or disablement of the/an Insured person for same period of disablement.
- Any payment in excess of sum Insured under the Policy during any one period of insurance for any one Insured person.
- Payment of compensation in respect of Injury or disablement directly or indirectly arising out of or contributed to by or traceable to any disability existing on the date of issue of this Policy.
- 4. Payment of compensation in respect of death, disablement of the Insured from :
 - a. Intentional self injury, suicide or attempted suicide.
 - b. While under the influence of intoxicating liquor or drug.
 - c. Directly or indirectly caused by insanity; and/or
 - d. Arising or resulting from the Insured committing any breach of the law with criminal intent.

SECTION - III: - AGRICULTURE PUMP SET INSURANCE

The Policy applies to centrifugal pump sets (electrical and diesel) up to 25 H.P. capacity, submersible pump set which are used for agricultural purposes only.

Scope of cover:

- 1. Mechanical / Electrical breakdown
- 2. Fire and lightning
- Theft/Burglary (Only if pump sect is lodged in a permanent enclosure except in case of submersible pump set)
- 4. Riot/Strikes, Malicious damage, Terrorism
- 5. Storm, Cyclone, Typhoon, Tempest, Hurricane, Tornado, Flood and Inundation

SPECIAL EXCEPTIONS

PROVIDED ALWAYS THAT:

The Company shall not be liable under this Policy for:

a) Excess @ 1% or Rs.250/- whichever is higher in each and every claim.

- बी) जोखिम के प्रारंभ के समय विद्यमान दोष और बीमित व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि को ज्ञात ।
- सी) नुकसान या क्षति जिसके लिए पंप सेट के निर्माता या आपूर्तिकर्ता या तो कानून या अनुबंध के तहत जिम्मेदार हैं।
- डी) मशीन को खोलने, वर्कशॉप तक ले जाने और वापस लाने तथा पुनः निर्माण की लागत ।

विशेष शर्ते

- सबमर्सिबल पंप सेट के मामले में यदि यह 10 वर्ष से अधिक पुराना है तो प्रीमियम 50% लोड किया जाना है ।
- ॥. प्रति हॉर्सपावर स्वीकार्य अधिकतम रिवाइंडिंग शुल्क अनुलग्नक ''ए'' के अनुसार है ।
- III. यदि पंप निष्क्रिय है या कभी-कभी उपयोग किया जाता है तो प्रीमियम की वापसी की अनुमति नहीं है ।
- IV. सभी दावे प्रति वर्ष 10% के मूल्यहास के अधीन हैं और अधिकतम मूल्यहास पंप सेट के स्थापित मूल्य के 75% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- V. सबमर्सिबल पंप सेट के मामले में जहाँ पंप सेट को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, कुल नुकसान के दावे के लिए कंपनी की देयता निर्धारित नुकसान का 50% है।

खंड - IV :- पशु बीमा

इस खंड में गैर-योजना पशु शामिल हैं । ''पशु'' शब्द का अर्थ है :

- ए) दुधारू गाय और भैंस
- बी) बछड़े / बिछयाँ
- सी) स्टड बुल्स
- डी) बैल (बिधया किए गए सांड) और बिधया किए गए नर भैंस, चाहे वे देशी, विदेशी या संकर नस्ल के हों ।

टिप्पणी :-

- विदेशी पशु का अर्थ है ऐसा पशु, जिसके माता-पिता दोनों विदेशी नस्ल के हों । इसमें भारत में पैदा हुए पशुओं के साथ-साथ विदेशों में पैदा हुए पशु भी शामिल हैं ।
- संकर नस्ल के पशु का अर्थ है जिसके माता-पिता में से कोई एक विदेशी नस्ल का हो ।

**

त
চ
त
हले बच्चे थि तक) के 1यु

- b) Faults existing at the time of commencement of risk and known to the Insured or his representative.
- Loss or damage for which manufacturer or supplier of pump set is responsible either by Law or under Contract.
- d) Cost of dismantling, transport to workshop and back and also cost of re-erection.

SPECIAL CONDITIONS

- I. Premium to be loaded by 50% in case of submersible pump set, if it is older than 10 years.
- II. Maximum rewinding charges admissible per Horsepower is as per annexure "A".
- III. No refund of premium is allowed if the pump is idle or used occasionally.
- IV. All claims are subject to depreciation of 10% per year and maximum depreciation should not be more than 75% of erected value of pump set.
- V. The Company's liability for total loss claim where pump set cannot be retrieved in case of submersible pump set is 50% of assessed loss.

SECTION - IV :- CATTLE INSURANCE

This section covers Non-scheme Cattle. The word "Cattle" refers to:

- a) Milch Cows and Buffaloes
- b) Calves / Heifers
- c) Stud Bulls
- d) Bullocks (Castrated Bulls) and Castrated Male Buffaloes, whether indigenous, exotic or cross-breed.

Note:-

- Exotic animal means an animal, whose both the parents are of foreign breed. This includes animals born in India as well as those born abroad.
- Cross Breed animal means one of whose parents is of foreign breed.

**

b) Milch Buffaloes 3 years to 12 years c) Stud Bulls 3 years to 8 years			
c) Stud Bulls 3 years to 8 years	I	a) Milch Cows	2 years to 10 years
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		b) Milch Buffaloes	3 years to 12 years
d) Pullogica 2 years to 10 years		c) Stud Bulls	3 years to 8 years
d) Dullocks 3 years to 12 years		d) Bullocks	3 years to 12 years
breed and exotic the date of first calving or minimum	II	breed and exotic	From 4 months up to the date of first calving or minimum age as in (I) (a) & (b)

यह पॉलिसी निम्नलिखित के कारण गैर-योजना के पशुओं की मृत्यु पर क्षतिपूर्ति करेगी:-

- 1. दुर्घटना (अग्नि एवं प्राकृतिक आपदा सहित)
- 2. बीमारी
- 3. सर्जिकल ऑपरेशन
- 4. दंगा और हडताल

पशुओं की स्थायी पूर्ण अक्षमता को आवरित करने के लिए पॉलिसी का विस्तार किया जाता है :-

स्थायी पूर्ण विकलांगता का अर्थ है:

- ।. दुधारू गाय : गर्भ धारण करने या दूध देने में असमर्थता
- II. स्टड बुल : प्रजनन के लिए अक्षमता
- III. बैल : प्रस्ताव प्रपत्र में उल्लिखित उपयोग के प्रयोजन हेतु अक्षमता ।

स्थायी कुल विकलांगता के मामले में कंपनी की देयता बीमा राशि के 75% तक सीमित होगी ।

विशेष अपवर्जन

बशर्ते कि:

कंपनी इस पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी नहीं होगी:

- 1. जोखिम के आरंभिक 15 दिनों के भीतर बीमारी के कारण बीमित पशु की मृत्यु होने की स्थिति में कंपनी दावे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
- 2. कंपनी की लिखित सहमित के बिना पॉलिसी में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए पशु का उपयोग, उपेक्षा, अधिक भार तथा अकुशल उपचार ।
- 3. जोखिम शुरू होने से पहले होने वाली दुर्घटनाएँ और/या बीमारियाँ ।
- 4. पशु का जानबुझकर वध, उन ममलों को छोड़कर जहाँ कानूनन गठित प्राधिकरण के आदेश से ऐसा किया जाता है ।
- 5. बीमित पशु की चोरी और गुप्त बिक्री ।
- 6. वायु और समुद्र द्वारा परिवहन ।
- 7. असम के इन दो जिलों लखीमपुर और शिवसागर जिलों और इसमें से नवगठित जिलों में पशुओं के संबंध में प्लुरोपोमोनिया ।
- 8. कर्ण टैग के बिना प्राप्त सभी दावे ।

विशेष शर्ते

1. प्रत्येक प्रस्ताव के लिए किसी योग्य पशुचिकित्सक की रिपोर्ट जिसमें पशुओं की आयु, पहचान चिन्ह, मूल्यांकन, अच्छे स्वास्थ्य सहित टीकाकरण का विवरण दिया गया हो, अवश्य प्राप्त की जानी चाहिए । दावों की जांच/पेशेवर सलाह के लिए पशु चिकित्सकों को देय शुल्क की दर परिशिष्ट ''सी'' के अनुसार होगी ।

The Policy shall give indemnity for Death of the Nonscheme Cattle due to :-

- 1. Accident (including fire & natural calamity)
- 2. Diseases
- 3. Surgical operations
- 4. Riot & strike

Policy can be extended to cover Permanent Total Disablement of animal:-

Permanent Total Disablement means:

- I. Milch Cattle: Incapacity to conceive or yield milk
- II. Stud Bulls: Incapacity for breeding
- III. Bullocks: Incapacity for the purpose of use mentioned in the proposal form.

In case of Permanent Total Disablement the liability of the company will be restricted to 75% of the Sum Insured.

SPECIAL EXCEPTIONS

PROVIDED ALWAYS THAT:

The Company shall not be liable under this Policy for:

- 1. The Company is not liable to pay the claim in the event of death of Insured animal due to disease occurring within 15 days from the commencement of risk.
- Neglect, overloading, unskillful treatment or use of animal for purpose other than stated in the Policy without the consent of the Company in writing.
- 3. Accidents occurring and /or Diseases contracted prior to commencement of risk.
- Intentional slaughter of the animal except cases where destruction is resorted to by the order of lawfully constituted authority.
- 5. Theft and clandestine sale of the Insured animal.
- 6. Transport by air and sea.
- 7. Pleuropneumonia in respect of Cattle in Lakhimpur and Sibasagar Districts and newly carved out districts out of these two districts of Assam.
- 8. All the claims received without EAR TAG.

SPECIAL CONDITIONS

 The report of a qualified Veterinarian giving the age, identification marks, valuation, good health including vaccination details of the cattle must be obtained for each proposal. The scale of fees payable to Veterinary Doctors for investigation of claims/professional advice will be as per Annexure "C".

- 2. **हित का अंतरण :-** यदि कंपनी को लिखि रूप में आवेदन किया जाता है तो किसी भी अनुमोदित नए मालिक को पॉलिसी अंतरित की जा सकती है । इसके लिए कंपनी रु. 15/- का अंतरण शुल्क वसूल करेगी ।
- 3. **री-टैगिंग शुल्क :-** यदि टैग खराब हो गया, खो गया या गुम हो गया हो तो बीमाधारक कंपनी को लिखित आवेदन देकर और रु. 25/- के री-टैगिंग शुल्क के भुगतान पर पशु को फिर से टैग करवा सकता है।

खंड - V :- पशु चालित गाड़ी

इस खंड में शामिल हैं:

- i. आग, दुर्घटना, दंगा और हड़ताल के कारण पशु चालित गाड़ी को हानि या क्षति ।
- ii. बीमित पशु चालित गाड़ी के उपयोग के परिणामस्वरूप तृतीय पक्ष की संपत्ति की क्षति, तृतीय पक्ष की मृत्यु अथवा चोट लगने से उत्पन्न होने वाली कानूनी देयता है । इस उप-धारा के अंतर्गत बीमित राशि रु. 10,000/- है ।

विशेष शर्ते

- 1. पैकेज पॉलिसी का यह खंड केवल पशु चालित गाड़ी को हुई हानि को आविरत करता है ।
- 2. न्यूमेटिक या हार्ड रबर टायर लगे वाहनों के मामले में, टायर के मूल्य का केवल 50% देय है ।
- 3. गाड़ी को निकटतम मरम्मतकर्ता के पास ले जाने के लिए रु. 50/-तक का टोईंग चार्ज देय है ।
- 4. पॉलिसी आधिक्य:- रु. 50/- प्रति दावा।
- 5. पॉलिसी निजी और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए और भाड़े या पुरस्कार हेतु गाड़ी के उपयोग में कोई अंतर नहीं करेगी ।
- 6. यह दायित्व तब भी आविरत किया जाता है जब वाहन को लोड या अनलोड किया जा रहा हो । इसे वहन किए गए माल की क्षति को आविरत करने के लिए विस्तारित नहीं किया जाता है ।
- 7. मूल्यहास परिशिष्ट ''बी'' के अनुसार ।

खंड - VI :- पेड़ल साइकिल

- 1. यह खंड निम्नलिखित कारणों से पैड़ल साइकिल को हुई हानि या क्षति को आवरित करता है :
 - ए) आकस्मिक बाहरी साधन, या
 - बी) अग्नि बाह्य विस्फोट, तिड़त, चोरी, सेंधमारी, उठाईगिरी; या
 - सी) द्वेषपूर्ण कार्य ।
- 2. यह खंड बीमाधारक के पैड़ल साइकिल के उपयोग के परिणामस्वरूप तृतीय पक्ष की संपत्ति का नुकसान, तृतीय पक्ष की मृत्यु अथवा चोट लगने से उत्पन्न होने वाली कानूनी देयता है । इस उप-धारा के अंतर्गत बीमित राशि रु. 10.000/- है ।

विशेष अपवर्जन

बशर्तें कि :

कंपनी इस पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी नहीं होगी:

1. कंपनी के संबंध में इस खंड के अंतर्गत कोई भुगतान करने के लिए

- 2. **Transfer of interest :-** A Policy may be transferred to any approved new owner if application is made in writing to The Company. The Company will be charge transfer fee of Rs.15/-.
- 3. **Retagging charges :-** If the tag is torn, lost or misplaced Insured can get the animal re-tagged by giving written application to the Company and on payment of re-tagging charges of Rs. 25/-.

SECTION - V: - ANIMAL DRIVEN CART

This Section covers:

- Loss or damage to animal driven cart due to Fire, accident, Riot & Strike.
- Legal liability arising out of use of Insured animal driven cart resulting in Third Party Property Damage, Third Party Death & Injury .The Sum Insured under Sub-section is Rs.10,000/-.

SPECIAL CONDTIONS

- This section of package Policy covers only loss or damage to cart.
- 2. In case of Vehicles fitted with pneumatic or hard rubber tyres, only 50% of the value of the tyre is payable.
- 3. Towing charges for moving the cart to the nearest repairer up to Rs. 50/- payable.
- 4. Policy excess :- Rs. 50/- per claim.
- 5. The Policy will not make any distinction between the use of the cart for private and professional purpose and for hire or reward.
- This liability is covered even when the vehicle is being loaded or unloaded. It is not extended to cover damage to the goods carried.
- 7. Depreciation as per annexure "B".

SECTION - VI :- PEDAL CYCLE

- 1. This Section covers loss or damaged to the Pedal Cycle caused by :
 - a) Accidental external means, or
 - b) Fire external explosion or lightning or burglary, housebreaking, larceny or theft; or
 - c) Malicious act.
- 2. This Section covers Insured's legal liability arising out of use of the Insured's pedal cycle resulting in Third Party Property Damage, Third Party Death & Injury .The Sum Insured under this Sub-section is Rs.10,000/-.

SPECIAL EXCEPTION

PROVIDED ALWAYS THAT:

The Company shall not be liable under this Policy for:

. The Company shall not be liable to make any payment

उत्तरदायी नहीं होगा -

- ए) परिशिष्ट ''बी'' के अनुसार मूल्यहास, टूट-फूट, यांत्रिक खराबी, विफलता या टूट-फूट न तो ओवरलोडिंग या तनाव के कारण होने वाली क्षति के लिए और न ही चोरी, सेंधमारी, चोरी या उठाईगिरी या क्षति के लिए जब तक पेड़ल साइकिल उसी समय चोरी न हो जाए।
- बी) टायरों का नुकसान या क्षति, जब तक कि पैड़ल साइकिल चोरी या क्षतिग्रस्त न हो जाए, जब कंपनी की देयता प्रतिस्थापन की लागत के 50% तक सीमित होगी।
- सी) बाह्य माध्यम से या दुर्भावनापूर्ण कार्यद्वारा हानि या क्षति के लिए प्रत्येक दावे में रु. 25/- का पॉलिसी आधिक्य ।
- II. कंपनी इस खंड के संबंध में कोई भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी -
 - 1. घातक चोट या क्षति जिसमें कैरेजवे सीमा के बाहर या किराया अर्जन से परे उत्पन्न होने के संबंध में -
 - ए) भार को पैडल साइकिल पर लोड करने के लिए लाना ।
 - बी) पैड़ल साइकिल के सावर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहाँ से उतारने के बाद पैड़ल साइकिल से लोड हो हटाना ।
 - 2. बीमाधारक या सवार के परिवार के किसी भी सदस्य या बीमाधारक के रोजगार में किसी भी व्यक्ति या इस तरह के रोजगार के दौरान उत्पन्न होने वाले सवार की मौत या शारीरिक चोट ।
 - 3. पैड़ल साइकिल चलाने या चढ़ने या उतरने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत या शारीरिक चोट ।
 - 4. पैड़ल साइकिल द्वारा ले जाए जाने पर बीमित व्यक्ति या राइडर या बीमाधारक या राइडर या बीमित व्यक्ति या राइडर के घर के सदस्य के नियंत्रण में या उनके द्वारा ट्रस्ट में रखी गई संपत्ति को हानि ।
 - 5. बीमित व्यक्ति या राइडर के साथ अनुबंध द्वारा ग्रहण की गई कोई देयता जब तक कि इस तरह के समझौते के अभाव में भी ऐसी देयता बीमाधारक या राइडर से जुड़ी न हो ।
 - 6. रेसिंग के दौरान हानि/क्षिति, भाड़े या इनाम के लिए गित-निर्माण करते समय, ओवरलोडिंग, तनाव, या यांत्रिक खराबी, सामान की चोरी जब तक कि पेड़ल साइकिल उसी समय चोरी न हो जाए।

इस पैकेज पॉलिसी के तहत:-

- 1 खंड "I" अनिवार्य है ।
 - 2 प्रीमियम पर 15% छूट की अनुमित दी जाएगी यदि सरल संपूर्ण किसान बीमा पॉलिसी के अंतर्गत खंड - । प्रीमियम को छो ड़कर कुल प्रीमियम रु. 5,000/- से अधिक है ।

under this Section in respect of -

- a) Depreciation as per annexure "B", wear & tear, mechanical breakdowns failure or breakages nor for damage caused by overloading or strain nor for loss or damage to accessories by burglary, housebreaking, theft or larceny unless pedal cycle is stolen at the same time.
- b) Loss of or damage to tyres, unless the pedal cycle is stolen or damaged at the time when the liability of the Company shall be limited to 50% of the cost of replacement.
- Policy excess of Rs. 25/- in each and every claim for loss or damage by external means or by malicious act
- II. The Company shall not be liable to make any payment under this section in respect of -
 - Death injury or damage caused or arising beyond the limits of any carriageway or thorough fare in connection with
 - a. The bringing of the load to the pedal cycle for loading thereon.
 - b. The taking away of the load from pedal cycle after unloading there from by any person other than the rider of the pedal cycle.
 - Death of or bodily injury to any member of the Insured's or the rider's household or to any person in the employment of the Insured or the rider arising out of and in the course of such employment.
 - 3. Death of or bodily injury to any person riding or mounting on or dismounting from the Pedal Cycle.
 - Damage to property belonging to the Insured or the rider or held in trust by or in the custody or control of the Insured or the rider or a member of the Insured or rider's household on being conveyed by the pedal cycle.
 - Any liability assumed by the Insured or the rider by agreement unless such liability would have attached to the Insured or the rider even in the absence of such agreement.
 - Loss/damage while racing, pace-making whilst used for hire or reward, overloading, strain, or mechanical breakdown, theft of accessories unless pedal cycle is stolen at the same time.

Under this Package Policy:-

- 1 | Section "I" is compulsory.
- 15% discount will be allowed on premium if total premium under Saral Sampurna Kisan Bima Policy exceeds Rs.5,000/- excluding Section I Premium.

कृषि पंप सेट का रिवाइंडिंग शुल्क (खंड - III) :

हॉर्स पावर	अधिकतम दायित्व रुपए में
3.0	600
5.0	800
7.5	1000
10.0	1300
15.0	1900
17.5	2000
20.0	2100
25.0	2400

परिशिष्ट ''बी''

मूल्यह्रास दर (खंड - V & VI) :

वाहन की आयु	मूल्यह्रास दर %
6 माह से अधिक नहीं	शून्य
6 माह से अधिक परंतु	
1 वर्ष से कम	5%
1 वर्ष से अधिक परंतु	
2 वर्ष से अधिक नहीं	10%
2 वर्ष से अधिक परंतु	
3 वर्ष से अधिक नहीं	15%
3 वर्ष से अधिक परंतु	
4 वर्ष से अधिक नहीं	25%
4 वर्ष से अधिक परंतु	
5 वर्ष से अधिक नहीं	35%
5 वर्ष से अधिक परंतु	
10 वर्ष से अधिक नहीं	40%
10 वर्ष से अधिक	50%

Rewinding Charges in Agriculture pump set (Section - III):

H.P.	Maximum Liability in Rs.
3.0	600
5.0	800
7.5	1000
10.0	1300
15.0	1900
17.5	2000
20.0	2100
25.0	2400

Annexure "B"

Depreciation Rate (Section - V & VI):

Age of the Vehicle	% of Depreciation
Not exceeding 6 months	Nil
Exceeding 6 months but not exceeding 1 Year	5%
Exceeding 1 year but not exceeding 2 Year	10%
Exceeding 2 year but not exceeding 3 Year	15%
Exceeding 3 year but not exceeding 4 Year	25%
Exceeding 4 year but not exceeding 5 Year	35%
Exceeding 5 year but not exceeding 10 Year	40%
Exceeding 10 years	50%

बीमा लोकपाल कार्यालयों का संपर्क विवरण निम्नवत है :-

अहमदाबाद - श्री कोल्लु विकास राव बीमा लोकपाल का कार्यालय,

जीवन प्रकाश बिल्डिंग, छठी मंजिल, तिलक मार्ग,

रिलीफ रोड, अहमदाबाद - 380 001.

दूरभाष: 079 - 25501201 / 02 / 05 / 06

ई-मेल : bimalokpal.ahmedabad@cioins.co.in

बेंगलुरु - श्री विपिन आनंद बीमाँ लोकपाल का कार्यालय,

जीवन सौधा बिल्डिंग, पीआईडी नंबर 57-27-एन-19,

तल मंजिल, 19/19, 24वा मेन रोड, जे.पी. नगर,

फेज - 1, बेंगलुरु - 560 078.

दूरभाष : 080 - 26652048 / 26652049

ई-मेल : bimalokpal.bengaluru@cioins.co.in

भोपाल - श्री आर. एम. सिंह बीमा लोकपाल का कार्यालय.

जनक विहार परिसर, दूसरी मंजिल, 6, मालविय नगर,

एयरटेल कार्यालय के सामने, न्यू मार्केट के पास, भोपाल - 462 003.

दूरभाष: 0755 - 2769201 / 2769202 ई-मेल : bimalokpal.bhopal@cioins.co.in

भुवनेश्वर - श्री मनोज कुमार परिदा बीमा लोकपाल का कार्यालय,

62, फॉरेस्ट पार्क, भुवनेश्वर - 751 009.

दूरभाष : 0674 - 2596461 / 2596455

ई-मेल : bimalokpal.bhubaneswar@cioins.co.in

चंडीगढ़ - श्री अतुल जेरथ बीमा लोकपाल का कार्यालय,

एस.सी.ओ. नंबर 101, 102 और 103, दूसरी मंजिल, बत्रा बिल्डिंग,

सेक्टर 17 - डी, चंडीगढ़ - 160 017. दूरभाष: 0172 - 2706196 / 2706468

ई-मेल : bimalokpal.chandigarh@cioins.co.in

चैन्नई - श्री सेगर संपथकुमार बीमा लोकपाल का कार्यालय,

फातिमा अख्तर कोर्ट, चौथी मंजिल, 453, अन्ना सलाई

टेयनमपेट, चेन्नई - 600 018.

दूरभाष : 044 - 24333668 / 24335284, ई-मेल : bimalokpal.chennai@cioins.co.in

दिल्ली - सुश्री सुनीता शर्मा बीमा लोकपाल का कार्यालय.

2/2 ए, यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग,

आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110 002.

दूरभाष : 011 - 23232481 / 23213504 ई-मेल : bimalokpal.delhi@cioins.co.in

एर्नाकुलम - श्री जी. राधाकृष्णन बीमाँ लोकपाल का कार्यालय,

दूसरी मंजिल, पुलिनाट बिल्डिंग, कोचीन शिपयार्ड के सामने,

एम. जी. रोड, एर्नाकुलम - 682 015.

दूरभाष: 0484 - 2358759 / 2359338

ई-मेल : bimalokpal.ernakulam@cioins.co.in

गुवाहाटी - श्री सोमनाथ घोष बीमा लोकपाल का कार्यालय,

जीवन निवेश, पांचवी मंजिल, पानबजार ओवर ब्रीज के पास,

एस. एस. रोड, गुवाहाटी - 781001 (असम).

दुरभाष: 0361 - 2632204 / 2602205

ई-मेल : bimalokpal.guwahati@cioins.co.in

The contact details of the Insurance Ombudsman offices are as below :-

AHMEDABAD - Shri Coolu Vikas Rao Office of the Insurance Ombudsman,

Jeevan Prakash Building, 6th floor, Tilak Marg,

Relief Road, Ahmedabad - 380 001. Tel.: 079 - 25501201 / 02 / 05 / 06

Email: bimalokpal.ahmedabad@cioins.co.in

BENGALURU - Mr. Vipin Anand Office of the Insurance Ombudsman,

Jeevan Soudha Building, PID No. 57-27-N-19,

Ground Floor, 19/19, 24th Main Road,

J. P. Nagar, 1st Phase, Bengaluru - 560 078.

Tel.: 080 - 26652048 / 26652049

Email: bimalokpal.bengaluru@cioins.co.in

BHOPAL - Shri R. M. Singh Office of the Insurance Ombudsman,

Janak Vihar Complex, 2nd Floor, 6, Malviya Nagar,

Opp. Airtel Office, Near New Market, Bhopal - 462 003.

Tel.: 0755 - 2769201 / 2769202

Email: bimalokpal.bhopal@cioins.co.in

BHUBANESHWAR - Shri Manoj Kumar Parida Office of the Insurance Ombudsman.

62, Forest park, Bhubneshwar - 751 009.

Tel.: 0674 - 2596461 /2596455

Email: bimalokpal.bhubaneswar@cioins.co.in

CHANDIGARH - Mr. Atul Jerath Office of the Insurance Ombudsman,

S. C. O. No. 101, 102 & 103, 2nd Floor,

Batra Building, Sector 17 - D, Chandigarh - 160 017.

Tel.: 0172 - 2706196 / 2706468

Email: bimalokpal.chandigarh@cioins.co.in

CHENNAI - Shri Segar Sampathkumar Office of the Insurance Ombudsman,

Fatima Akhtar Court, 4th Floor,

453, Anna Salai, Teynampet, CHENNAI - 600 018.

Tel.: 044 - 24333668 / 24335284

Email: bimalokpal.chennai@cioins.co.in

DELHI - Ms. Sunita Sharma Office of the Insurance Ombudsman,

2/2 A, Universal Insurance Building,

Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002.

Tel.: 011 - 23232481/23213504

Email: bimalokpal.delhi@cioins.co.in

ERNAKULAM - Shri G. Radhakrishnan Office of the Insurance Ombudsman,

2nd Floor, Pulinat Bldg., Opp. Cochin Shipyard,

M. G. Road, Ernakulam - 682 015. Tel.: 0484 - 2358759 / 2359338

Email: bimalokpal.ernakulam@cioins.co.in

GUWAHATI - Shri Somnath Ghosh Office of the Insurance Ombudsman,

Jeevan Nivesh, 5th Floor, Nr. Panbazar over bridge,

S. S. Road, Guwahati - 781001(ASSAM).

Tel.: 0361 - 2632204 / 2602205

Email: bimalokpal.guwahati@cioins.co.in

हैदराबाद - श्री एन. संकरण बीमा लोकपाल का कार्यालय.

6-2-46, पहली मंजिल, मोईन कोर्ट लेन, सलीम फंक्शन पैलेस के सामने, ए. सी. गार्ड्स, लकडी-का-पुल, हैदराबाद - 500 004.

दूरभाष : 040 - 67504123 / 23312122

ई-मेल : bimalokpal.hyderabad@cioins.co.in

जयपुर - श्री राजीव दत्त शर्मा बीमा लोकपाल का कार्यालय,

जीवन निधि - II बिल्डिंग, तल मंजिल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर - 302 005.

दूरभाष : 0141 - 2740363,

ई-मेल : bimalokpal.jaipur@cioins.co.in

कोलकाता - श्री किरण सहदेव बीमा लोकपाल का कार्यालय,

हिन्दुस्तान बिल्डिग एनेक्स, चौथी मंजिल, 4, सी.आर एवेन्यू, कोलकाता - 700 072. दूरभाष : 033 - 22124339 / 22124340 ई-मेल : bimalokpal.kolkata@ecoi.co.in

लखनऊ - श्री अतुल सहाय बीमा लोकपाल का कार्यालय,

छठी मंजिल, जीवन भवन, फेज - II, नवल किशोर रोड, हजरतगंज,

लखनऊ - 226 001.

दूरभाष : 0522 - 2231330 / 2231331 ई-मेल : bimalokpal.lucknow@cioins.co.in

मुंबई - श्री भारतकुमार एस. पंड्या बीमा लोकपाल का कार्यालय,

तीसरी मंजिल, जीवन सेवा एनेक्स,

एस. वी. रोड, सांताक्रूज (प.), मुंबई - 400 054.

दूरभाष: 69038821/23/24/25/26/27/28/29/30/31

ई-मेल : bimalokpal.mumbai@cioins.co.in

नोएडा - श्री बिम्बाधर प्रधान बीमा लोकपाल का कार्यालय,

भगवान सहाय पॅलेस, चौथी मंजिल, मेन रोड, नया बांस, सेक्टर - 15,

जिला - गौतम बुद्ध नगर, यू. पी. - 201301.

दूरभाष : 0120-2514250 / 2514252 / 2514253

ई-मेल : bimalokpal.noida@cioins.co.in

पटणा - सुश्री सुस्मिता मुखर्जी बीमा लोकपाल का कार्यालय,

पहली मंजिल, ललीत भवन,

बैलेय रोड, पटना - 800 001.

दूरभाष : 0612 - 2547068,

ई-मेल : bimalokpal.patna@cioins.co.in

पुणे - श्री सुनिल जैन बीमा लोकपाल का कार्यालय,

जीवन दर्शन बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, सी. टी. एस. नंबर 195 से 198, एन. सी. केलकर रोड, नारायण पेठ, पुणे - 411 030.

दूरभाष : 020-41312555,

ई-मेल : bimalokpal.pune@cioins.co.in

नोट: कानूनी विवेचना के लिए अंग्रेजी रुपांतर विधिमान्य होगा।

HYDERABAD - Shri N. Sankaran Office of the Insurance Ombudsman,

6-2-46, 1st floor, "Moin Court" Lane,

Opp. Saleem Function Palace, A. C. Guards,

Lakdi-KaPool, Hyderabad - 500 004. Tel.: 040 - 67504123 / 23312122

Email: bimalokpal.hyderabad@cioins.co.in

JAIPUR - Shri Rajiv Dutt Sharma Office of the Insurance Ombudsman,

Jeevan Nidhi - II Bldg., Gr. Floor, Bhawani Singh Marg,

Jaipur - 302 005. Tel.: 0141 - 2740363

Email: bimalokpal.jaipur@cioins.co.in

KOLKATA - Shri Kiran Sahdev Office of the Insurance Ombudsman,

Hindustan Bldg. Annexe, 4th Floor,

4, C. R. Avenue, KOLKATA - 700 072.

Tel.: 033 - 22124339 / 22124340 Email: bimalokpal.kolkata@ecoi.co.in

LUCKNOW - Shri Atul Sahai Office of the Insurance Ombudsman,

6th Floor, Jeevan Bhawan, Phase - II, Nawal Kishore Road, Hazratganj,

Lucknow - 226 001.

Tel.: 0522 - 2231330 / 2231331

Email: bimalokpal.lucknow@cioins.co.in

MUMBAI - Shri Bharatkumar S. Pandya Office of the Insurance Ombudsman,

3rd Floor, Jeevan Seva Annexe, S. V. Road,

Santacruz (W), Mumbai - 400 054.

Tel.: 69038821 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31

Email: bimalokpal.mumbai@cioins.co.in

NOIDA - Shri Bimbadhar Pradhan Office of the Insurance Ombudsman,

Bhagwan Sahai Palace, 4th Floor, Main Road, Naya Bans, Sector 15,

Distt: Gautam Buddh Nagar, U. P. - 201301. Tel.: 0120-2514250 / 2514252 / 2514253 Email: bimalokpal.noida@cioins.co.in

PATNA - Ms. Susmita Mukherjee Office of the Insurance Ombudsman,

2nd floor, Lalit Bhawan, Bailey Road,

Patna - 800 001. Tel.: 0612 - 2547068

Email: bimalokpal.patna@cioins.co.in

PUNE - Shri Sunil Jain Office of the Insurance Ombudsman,

Jeevan Darshan Bldg., 3rd Floor, C. T. S. No. 195 to 198,

N. C. Kelkar Road, Narayan Peth,

Pune - 411 030. Tel.: 020-41312555

Email: bimalokpal.pune@cioins.co.in

NOTE: For legal interpretation, English version will hold good.